न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली

पीठासीन अधिकारी : डॉ0 बजरंगसिंह चौहान, आर.ए.एस.

अपील संख्या : 77 / 2015

अपीलाण्ट्स	बनाम	रेस्पोडेन्ट्स
1 रतनाई पत्नि भंवरलाल जाति माली निवासी मेला का चौक, सोजत सिटी		1 मांगीलाल पुत्र चिमनाराम 2 वेनाराम पुत्र भानाराम 3 मोहनलाल पुत्र भानाराम
2 लक्ष्मी पत्नि रामचन्द्र जाति माली निवासी मेला का चौक, सोजत		4 अणची बेवा भानाराम जातिगण सिरवी निवासीगण बेरा चोलीवा, सोजत सिटी
3 चुन्नीलाल पुत्र छंगनाराम के का0मु0 3.1 खूमाराम 3.2 भीवाराम 3.3 मृतक हीरालाल पुत्र चुन्नीलाल के का0मु0 3.1.1 कालूराम पुत्र हीरालाल 3.1.2 अशोक पुत्र हीरालाल 3.1.3 सोनी पत्नि हीरालाल जातिगण माली निवासीगण सोजत		5 जुगलकिशोर पुत्र केसाराम जाति सिरवी निवासी चौधरीयों का बास, सोजत सिटी 6 लिछमणराम पुत्र पुखाराम जाति माली निवासी लिखमा का आट पचोलनाडी, सोजत सिटी

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थिति –

श्री धर्मीचन्द देवासी, विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट
श्री महेन्द्र चौधरी, विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 1, 2, 5

–: निर्णय :–

दिनांकः– 30.1.18

अपीलाण्ट की ओर से यह अपील रेस्पोडेन्ट के विरूद्ध अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत उपखण्ड अधिकारी, सोजत द्वारा राजस्व विविध प्रकरण संख्या 135 / 2012 में पारित निर्णय दिनांक 23.11.2015 के विरूद्ध प्रस्तुत की। अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट्स को जरिये सम्मन तलब किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालय का रेकर्ड तलब किया। उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट ने अपनी बहस में अपील में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अपीलाण्ट ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 251 (क) के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपनी खातेदारी भूमि में आवागमन के लिये रास्ता प्रदान कराने का अनुतोष चाहा। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अप्रार्थीगण अनुपस्थित रहने के कारण अप्रार्थीगण के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही का आदेश पारित किया जाकर तहसीलदार सोजत से रिपोर्ट तलब करने के आदेश जारी किये गये। इस दौरान बिना किसी आधार के अप्रार्थीगण का जवाब रेकर्ड पर लिया गया, जबकि अप्रार्थीगण के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही के आदेश को मन्सूख किया जाना आवश्यक था, जो नहीं किया गया। प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि में आवागमन हेतु अप्रार्थीगण की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 429, 430, 431, 441 में से होकर रास्ता प्रदान कराने का अनुतोष चाहा गया था तथा तहसीलदार सोजत ने भी अपनी रिपोर्ट में वैकल्पिक रास्ते का अभाव मानते हुए रास्ता प्रदान किया जाना न्यायोचित बताया था, किन्तु अधीनस्थ

राजस्व अपील प्राधिकारी पाली

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

न्यायालय द्वारा अपीलाण्ट को बिना कोई साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर दिये, विधि विरूद्ध रूप से जैर अपील आदेश पारित करते हुए अपीलाण्ट का प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया। जबकि पत्रावली पर रास्ता प्रदान करने के पर्याप्त आधार उपलब्ध थे, जिनको नजर अन्दाज करते हुए अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जैर अपील आदेश पारित किया गया है, जो विधि विरूद्ध है। अतः अपील स्वीकार करावें एवं अपीलाण्ट को रास्ता प्रदान कराने का आदेश प्रदान करावें।

विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट्स ने अपनी बहस में कथन किया कि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251 (क) के तहत वैकल्पिक मार्ग उपलब्ध नहीं होने की दशा में ही रास्ता प्रदान कराने के प्रावधान है। अपीलाण्ट अपनी सुविधा के लिये अन्य खातेदार की कृषि जोत में से नये रास्ते का अनुतोष प्राप्त नहीं कर सकते है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाण्ट को समुचित सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए जैर अपील आदेश पारित किया गया है। जैर अपील प्रकरण में समरी ट्रायल होती है, जिसमें किसी प्रकार की तनकीयात आदि कायम नहीं की जाती है तथा प्रकरण के तथ्यों, तहसीलदार द्वारा प्रस्तुत मौका रिपोर्ट आदि को दृष्टिगत रखते हुए धारा 251 क के आज्ञापक प्रावधानों के अन्तर्गत उचित पाये जाने पर रास्ता प्रदान करने के प्रावधान है। अपीलाण्ट के पास वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध है। अतः रास्ता प्रदान कराने का कोई उचित कारण नहीं होने से अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जैर अपील आदेश पारित किया है, जिसमें किसी प्रकार की विधिक त्रुटी नहीं है। अतः अपीलाण्ट की अपील खारिज करावें।

उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी गई तथा पत्रावली पर उपलब्ध करवाये गये दस्तावेजात का अवलोकन किया। अपीलाण्ट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251 (क) के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपनी खातेदारी भूमि ग्राम सोजत चक ।। के खसरा नम्बर 439, 440, 442, 443, 444 व 445 कुल खसरा 6 जिसका कुल रकबा2.55 हैक्टेयर की भूमि में आवागमन हेतु रेस्पोडेन्ट्स की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 429, 430, 431, 441 कुल खसरा 4 जिसका कुल रकबा 3.11 हैक्टेयर में से रास्ता प्रदान कराने का अनुतोष चाहा। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण में तहसीलदार सोजत से रिपोर्ट तलब की गई। जो तहसीलदार सोजत द्वारा जरिये पत्रांक/राजस्व214/2538 दिनांक 13.01.2014 के जरिये प्रेषित की गईं तहसीलदार सोजत ने अपनी रिपोर्ट में यह अंकित किया कि खसरा नम्बर 442, 443 व 444 का वर्तमान राजस्व नक्शा लट्ठा अनुसार रास्ते पर स्थित नही है तथा रास्ते हेतु आवश्यकता है। इस भूमि के निकटतम रास्ता खसरा नम्बर 595 होना बताया। अपीलाण्ट की खातेदारी भूमि एवं रास्ते के मध्य रेस्पोडेन्ट्स की खातेदारी भूमि होना जाहिर किया। वैकल्पिक मार्ग होना कहीं भी सिद्ध नहीं हुआ है। इसके बावजूद भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण को धारा 251 (क) की परिधि में नहीं होना मानते हुए कानूनी भूल की है, साथ ही अधीनस्थ न्यायालय द्वारा सन्दर्भ कानूनी के तीन बिन्दु यथा – मार्ग की आत्यांतिक आवश्यकता, वैकल्पिक मार्ग का अभाव एवं सुविधाजनक उपयोग पर किसी प्रकार का मत अंकित नही किया है तथा न ही इन बिन्दुओं को रेखांकित किया गया है। जिसके कारण अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय को विधि सम्मत नहीं माना जा सकता है।

परिणाम स्वरूप अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत अपील स्वीकार की जाती है तथा उपखण्ड अधिकारी, सोजत द्वारा राजस्व विविध प्रकरण संख्या 135/2012 में पारित निर्णय दिनांक 23.11.2015 को अपास्त किया जाकर प्रकरण इन निर्देशों के साथ अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाता है कि उपरोक्त निर्देशों के अनुक्रम में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251 (क) के आज्ञापक प्रावधानों की पालना करते हुए नये सिरे

राजस्व अपील प्राधिकारी पाली

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

से विधि सम्मत निर्णय पारित करें। इस निर्णय की प्रतिलिपी के साथ अधीनस्थ न्यायालय का रेकर्ड लौटाया जावे।

निर्णय आज दिनांक 30.1.18 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ0 बजरंगसिंह चौहान)
राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली